खास खबरें

15 वर्षीय किशोरी लापता अपहरण का केस

भोपाल। सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र में इतरत अहिरवार की 15 वर्षीय पुत्री राखी के लापता होने पर मामला दर्ज किया गया है। फरियादी के अनुसार अज्ञात व्यक्ति किशोरी को अपने साथ ले गया। पुलिस ने अपराध क्रमांक 179 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

स्कूटी चोरी, अज्ञात आरोपी की तलाश

मिसरोद थाना पुलिस ने नफीस खान की शिकायत पर स्कूटी चोरी का मामला दर्ज किया है। फरियादी ने बताया कि उनकी स्कूटी क्रमांक एमपी04 छ्य 3401 अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। पुलिस ने अपराध क्रमांक 572 दर्ज कर जांच शुरू की है।

कोतवाली क्षेत्र से एक्टिवा चोरी

कोतवाली थाना क्षेत्र में राजकुमार रैदास की एक्टिवा चोरी होने का मामला सामने आया है। फरियादी की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 140 दर्ज किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर जांच कर रही है।

अवैध शराब के साथ विनोद मगरी गिरफ्तार

हबीबगंज थाना पुलिस ने अवैध शराब रखने के आरोप में विनोद मगरी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध क्रमांक 402 दर्ज किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान शराब जब्त की। मामले में शासन फरियादी है।

100 क्वार्टर देसी शराब जब्त

कोतवाली थाना पुलिस ने सऊद खान के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान 100 क्वार्टर देसी और 30 क्वार्टर अंग्रेजी शराब जब्त की गई। अपराध क्रमांक 139 में शासन को फरियादी बनाया गया है।

टीलाजमालपुरा अजय बाग पर आबकारी प्रकरण

टीलाजमालपुरा थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब रखने के आरोप में अजय बाग के खिलाफ अपराध क्रमांक 167 दर्ज किया है। मामले में शासन फरियादी है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।

लालचंद्र के खिलाफ शराब रखने का केस

टीलाजमालपुरा थाना पुलिस ने लालचंद्र के खिलाफ अपराध क्रमांक 168 दर्ज किया है। आरोपी पर सार्वजनिक स्थान पर शराब रखने का आरोप है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है।

जीना घोसले पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई

टीलाजमालपुरा थाना क्षेत्र में जीना घोसले के खिलाफ अपराध क्रमांक 169 दर्ज किया गया है। आरोपी पर सार्वजनिक स्थान पर शराब रखने का आरोप है। मामले में शासन फरियादी है और पुलिस जांच कर रही है।

युवक के गुम होने की रिपोर्ट

टीटी नगर थाना में ब्रजेश अहिरवार ने शिकायत दर्ज कराई कि रोनक सिंह बिना बताए घर से चला गया है। पुलिस ने गुम इंसान क्रमांक 55 दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

मिसरोद से महिला लापता

मिसरोद थाना में सलीम खान की शिकायत पर गुलफसा उर्फ सगीरा के गुम होने का मामला दर्ज किया गया है। गुम इंसान क्रमांक 76 में पुलिस ने महिला की तलाश शुरू कर दी है।

युवक लापता होने की रिपोर्ट दर्ज

परवलिया थाना में ससिया बी ने परवीन खान के घर से बिना बताए चले जाने की शिकायत दर्ज कराई है। गुम इंसान क्रमांक 17 दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी है।

अशोका गार्डन में मारपीट का मामला दर्ज

अशोका गार्डन थाना पुलिस ने कमलेश लववंशी की शिकायत पर राहुल शाक्य के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है।

महिला की शिकायत पर केस

अवधपुरी थाना में वंदना शर्मा की शिकायत पर सुशील शर्मा के खिलाफ मारपीट और विवाद से जुड़ा मामला दर्ज किया गया है। अपराध क्रमांक 227 में पुलिस जांच कर रही है।

निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने वर्षा पूर्व नाला अभियान

शहर के नाला-नालियों की साफ-सफाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगर निगम भोपाल ने वर्षा ऋतु के दौरान जल निकासी को सुचारु बनाए रखने के लिए चलाए गए विशेष नाला अभियान के तहत शहरभर के छोटे-बड़े नालों और नालियों की व्यापक सफाई पूरी कर ली है। निगम प्रशासन का दावा है कि समय रहते किए गए इस कार्य से बारिश के दौरान जलभराव की संभावना काफी हद तक कम हो गई है।

निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अमले ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित लगभग 184 प्रमुख नालों की सफाई कराई। इनमें कैंची छोला, द्वारका नगर, इब्राहिमगंज, नारियलखेड़ा, भारत नगर, मिसरोद, स्नेह नगर, जाटखेड़ी, अवधपुरी, ऐशबाग, अशोका गार्डन, बैरागढ़, कोलूखेड़ी, रविंद्र भवन, स्मार्ट पार्क, सूरज नगर, बांसखेड़ी और अन्य कई क्षेत्रों के नाले शामिल हैं। इसके अलावा शहर के अन्य छोटे-बड़े नालों की भी सफाई की गई। निगम द्वारा बड़े नालों की सफाई पोकलेन मशीनों से तथा छोटे नालों की सफाई जेसीबी और मिनी पोकलेन मशीनों की मदद से कराई गई। सफाई अभियान के दौरान लगभग एक हजार ट्रिप गाद, कचरा, मिट्टी और मलबा निकालकर निर्धारित निष्पादन स्थलों तक पहुंचाया गया। कई स्थानों पर नालों का गहरीकरण, चौड़ीकरण और मरम्मत कार्य भी कराया गया, जिससे पानी का प्रवाह अधिक सुचारु हो सके। निगम प्रशासन के अनुसार सफाई कार्य पूरा होने के बाद भी नालों की लगातार निगरानी की जा रही है। जहां कहीं भी कचरा या अवरोध दिखाई देता है, वहां तत्काल सफाई कराई जा रही है। वर्षा ऋतु के दौरान भी निगम अमले को 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नागरिकों को जलभराव जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। निगम आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से सफाई कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही सभी स्वास्थ्य अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्षा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम ने मुख्य आपात नियंत्रण कक्ष के साथ-साथ विभिन्न जोन कार्यालयों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं।

एक सोशल फाउंडेशन ने बाल प्रतिभाओं को किया सम्मानित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से एक सोशल फाउंडेशन द्वारा नुक्कड़ नाटक 'हुनर है तो कदर है' की 10 दिवसीय कार्यशाला के समापन पर स्कूली बच्चों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही कार्यक्रम में सहयोग देने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया।

संस्था की पदाधिकारी सीमा शर्मा ने बताया कि संस्था का उद्देश्य 'ज्ञान का आनंद लें' है, जिसके तहत बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा और कला से जोड़ा जाता है। इस कार्यशाला के माध्यम से बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने शहर के 12 से अधिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया और सामाजिक संदेश दिया। संस्था ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए 50 से अधिक जूट बैग भी वितरित किए और लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की। इस अवसर पर डॉ. अमिता मिश्रा सहित शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को उपस्थित लोगों ने सराहा और बच्चों के प्रयासों की प्रशंसा की।

वीडियो गेम खेलने से रोका तो रिक्शा चालक पर किया पत्थर से जानलेवा हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के गौतम नगर थाना क्षेत्र में मोबाइल गेम की लत और मामूली विवाद के चलते एक ई-रिक्शा चालक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार करोंद स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय इमरान खान बुधवार शाम करीब छह बजे डीआईजी बंगला चौराहे पर अपनी ई-रिक्शा खड़ी कर सवारियों का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद दो अन्य ई-रिक्शा चालक राजू और अमन मोबाइल फोन पर लूडो खेल रहे थे।

इमरान ने दोनों को काम के दौरान मोबाइल गेम खेलने से मना करते हुए सवारियों पर ध्यान देने की सलाह दी। इस बात से नाराज होकर दोनों आरोपियों ने पहले इमरान के साथ गाली-गलौज की और फिर विवाद बढ़ने पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी।

आरोप है कि मारपीट के दौरान राजू और अमन ने सड़क किनारे पड़ा पत्थर उठाकर इमरान के सिर, माथे और कनपटी पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही बेहोश हो गया। वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए।

स्थानीय लोगों की मदद से घायल इमरान को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही गौतम नगर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया।

शादी समारोह में चाकूबाजी सिक्योरिटी गार्ड पर जानलेवा हमला

न.प्र. भोपालः कजलीखेड़ा थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। युवती से छेड़छाड़ को लेकर शुरू हुई कहासुनी के बाद दो युवकों ने एक सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल दीपक वंशकार (34) मूल रूप से नजीराबाद का निवासी है और वर्तमान में रातीबड़ क्षेत्र के मुगलिया छाप में रहकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। दीपक अपनी बुआ की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए, कजलीखेड़ा खदान के पास स्थित बुआ के घर पहुंचा था। बताया गया है कि मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात करीब एक बजे विवाह समारोह के दौरान कुछ युवकों द्वारा एक युवती से छेड़छाड़ किए जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ।

मथुरा में सुरक्षित मिला लापता मासूम अंश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी से चार दिन पहले लापता हुआ छह वर्षीय अंश मैना उत्तर प्रदेश के मथुरा में सुरक्षित मिल गया है। भोपाल पुलिस की छह टीमें लगातार बच्चे की तलाश में जुटी हुई थीं। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने अंश को ट्रेस कर सुरक्षित बरामद कर लिया।

जानकारी के अनुसार ईदगाह हिल्स स्थित बाजपेयी नगर मल्टी निवासी अंश मैना की मां लालघाटी के मल्टी केयर अस्पताल में भर्ती थीं। मंगलवार को अस्पताल परिसर के पास खेलते समय अंश अचानक लापता हो गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी।

जांच के दौरान पुलिस ने शहर और आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसी दौरान एक फुटेज में अंश अकेले ट्रेन में बैठता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने रेलवे रूट और तकनीकी इनपुट के आधार पर खोज अभियान तेज किया। एसीपी अनिल बाजपेयी के अनुसार जांच में मिले सुरागों के आधार पर पुलिस टीम मथुरा तक पहुंची, जहां से अंश को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। बच्चे को पुलिस संरक्षण में लिया गया है और टीम उसे लेकर जल्द भोपाल रवाना होगी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल पुलिस ने छह विशेष टीमें गठित की थीं, जो लगातार रेलवे स्टेशन, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी माध्यमों से बच्चे की तलाश कर रही थीं। चार दिन की मेहनत के बाद पुलिस को सफलता मिली।

फिलहाल पुलिस अंश से बातचीत कर यह जानने का प्रयास कर रही है कि वह अकेले मथुरा तक कैसे पहुंचा और इस दौरान उसके साथ क्या-क्या घटनाक्रम हुआ।

कारों की ठगी,दस्तावेज दिए बिना बेचीं गाड़ियाँ

न.प्र. भोपालः राजधानी के तलैया थाना क्षेत्र में एक गैस एजेंसी संचालक से कम कीमत में नई कारें बेचने का झांसा देकर 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि परिचित व्यक्ति ने तीन वाहन बेचने के नाम पर रकम ली, लेकिन दस्तावेज नहीं दिए। बाद में डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल कर तीनों वाहन घर के बाहर से ले गया। जानकारी के अनुसार रेतघाट तलैया निवासी 57 वर्षीय मुस्तकीम बैग गैस एजेंसी संचालक हैं। उनकी पहचान छावनी निवासी मोहम्मद फैज से थी और दोनों के बीच लंबे समय से परिचय था। इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने पैसों की आवश्यकता बताते हुए नई कारें कम कीमत में बेचने का प्रस्ताव दिया। पीड़ित के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच आरोपी ने उन्हें थार जीप, एक्सयूवी-300 और स्कॉर्पियो वाहन दिए और इसके बदले 17 लाख रुपये ले लिए। आरोपी ने भरोसा दिलाया था कि तीनों वाहनों के दस्तावेज बाद में एक साथ उपलब्ध करा देगा।

शाहजहाँनाबाद पुलिस ने चाकूबाज को दबोचा, तलवार बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः शाहजहाँनाबाद थाना पुलिस ने संदिग्धों की चेकिंग के दौरान एक आदतन अपराधी को अवैध धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लोहे की धारदार तलवार बरामद की गई है।

पुलिस आयुक्त संजय कुमार के निर्देश पर शहर में चाकूबाजों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेन्द्र सिंह चौहान एवं पुलिस उपायुक्त जोन-3 श्री आयुष गुप्ता के मार्गदर्शन में थाना शाहजहाँनाबाद पुलिस ने सफलता हासिल की।पुलिस के अनुसार 17 जून 2026 की शाम संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग के दौरान काला पाइप, मदर इंडिया कॉलोनी क्षेत्र में अरशद उर्फ बब्बा (28) निवासी मदर इंडिया कॉलोनी को संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक अवैध धारदार तलवार बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 345/26 के तहत धारा 25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

गोकशी कांड में नया मोड़ः कोर्ट ने कहा आरोपी को सौंपें सीसीटीवी फुटेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के चर्चित गोकशी कांड में उस समय नया मोड़ आ गया, जब अदालत ने पुलिस को मामले से संबंधित जब्त सीसीटीवी फुटेज आरोपी पक्ष को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

आरोपी का दावा है कि जिस स्लाटर हाउस को लेकर मामला दर्ज किया गया, वहां कभी कोई गाय लाई ही नहीं गई। ऐसे में अदालत के इस आदेश के बाद मामले की जांच और साक्ष्यों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

जानकारी के अनुसार कुछ समय पूर्व पुलिस ने भोपाल स्थित एक स्लाटर हाउस में कथित गोकशी का मामला दर्ज किया था। पुलिस का आरोप था कि वहां अवैध रूप से गायों का वध किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुछ साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज जब्त कर कई लोगों को आरोपी बनाया था।सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि पुलिस ने जिन तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज किया है, वे वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते। आरोपी का कहना था कि स्लाटर हाउस में कभी कोई गाय नहीं लाई गई और इस तथ्य की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से हो सकती है। इसी आधार पर आरोपी ने जब्त फुटेज की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निर्देश दिए कि जब्त सीसीटीवी फुटेज आरोपी पक्ष को उपलब्ध कराया जाए। किसी भी आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई और अपने बचाव का पूरा अवसर मिलना चाहिए तथा जांच से जुड़े साक्ष्यों तक उसकी उचित पहुंच होना न्याय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

खंड-1
ई-निविदा आमंत्रण सूचना
मध्यप्रदेश शासन
कार्यालय का नाम-वनमंडलाधिकारी पश्चिम बैतूल (सा.) वनमंडल, मध्यप्रदेश
ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या/17/ई-टेंडरिंग/226-27/ दिनांक 15.06.2026

1. वनमंडलाधिकारी, पश्चिम बैतूल (सा.) वनमंडल द्वारा म.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के अंतर्गत निम्नलिखित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक	सामग्री का विवरण	अनुमानित मात्रा	सत्यांकार निधि	निविदा दस्तावेजों का मूल्य
1	फेबरीकेशन वर्क वेल्डिंग सहित आईएसआई मार्क युक्त लोहे की ग्रिल, एंगल एवं स्क्वायर राड से फेब्रीकेशन कार्य- (खिड़की, रोशनदान, गेट, बोर्ड इत्यादि हेतु)	5000 कि.ग्रा	15000/-	1000/-

- निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 19/06/2026 बजे 11:00 AM से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय तक केवल ऑनलाईन खरीद सकते है।
- ई-निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल - https://www.mptenders.gov.in/

जी-14585/26

वनमंडलाधिकारी,
पश्चिम बैतूल (सा.) वनमंडल

न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोलार भोपाल म.प्र.
प्रकरण क्रमांक...........
आम सूचना
आवेदक अमित श्रीवास्तव पिता स्व. श्री कृष्णशरण श्रीवास्तव, निवासी- बावड़िया कलां, कोलार तहसील भोपाल द्वारा ग्राम बावड़िया कलां, कोलार में स्थित खसरा क्र. 442, 443/5/1, क्षेत्रफल 1280 वर्ग फीट पर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति हो तो दिनांक 01/07/2026 को अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय में स्वयं अथवा सम्यक रुप से निर्देशित अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समयावधि उपरांत प्रस्तुत आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आज दिनांक 16/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील कोलार भोपाल

658

कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त 01 तहसील हजूर जिला भोपाल
सीमांकन सूचना पत्र
प्रकरण क्र-0202/अ-12/2026-27 जारी दिनांक 27/05/2026

प्रति 01. श्री आमिर खान पिता मोहम्मद शकील पता मन 6 जैन मंदिर के पीछे इतवारा रोड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 02. मोहम्मद मुन्नाव्वर पिता मोहम्मद अनवर पता हम्मालपुरा म.न. 6 गली न 1 भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी पता भोपाल मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 03. हरगोविंद पाटीदार पिता लक्ष्मीनारायण पता 90 मुंगालिया भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी वगैरह 04. अलीम पुत्र मोहम्मद कमर पता 08 सिकरोही गली जहांगीराबाद बाजार भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी वगैरह 05. एसके रियल बिल्डएसोसिएट द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एवं भागीदार श्री अनिल गुप्ता पिता स्व. श्री एस के गुप्ता पता 30 कोतवाली रोड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 06. तरुण कुमार पिता जय कुमार पता 365 बैंक के पास तिल्लोर खुर्द जिला इंदौर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 07. सैयद मूनिस अख्तर पिता सैयद मेहफूज अख्तर पता म.न. 4 अहमदाबाद पैलेस रोड मस्जिद नूर के पास भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 08. मैसर्स मानसरोवर रियल स्टेट भोपाल द्वारा भागीदार संजय कश्यप पिता राजेन्द्र कश्यप पता नि म. नं 17/1 रिसालदार कालोनी छोला रोड भोपाल 09. ग्राम कोटवार की ओर भेजकर लेख है कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना तामील करावें। उपरोक्तानुसार आपको सूचित किया जाता है कि- आवेदक श्रीमती प्रेमबाई पत्नी स्व. नन्नूलाल भोपाल मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी द्वारा स्वयं के स्वत्व की भूमि खसरा क्रमांक 495/1 रकबा 2.4030 हेक्टेयर स्थित ग्राम परवलिया सड़क तहसील हुजूर भोपाल के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः एवं दिनांक 25/06/2026 समय दोपहर 02.00 बजे को आवेदक की भूमि का सीमांकन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। पड़ोसी कृषक होने के नाते आपको सूचित किया जाता है कि आप वक्त, सीमाकंन स्थल पर उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन कर सकते हैं। अनुपस्थिति की दशा में भूमि का सीमांकन कार्य स्थगित नहीं किया जावेगा। अति आवश्यक शासकीय कार्य आने के पर सीमांकन कार्य की तिथि बढाई जा सकेगी। सूचना पत्र जारी दिनांक 09-06-2026

हल्का पटवारी/राजस्व निरीक्षक
(पटवारी-हल्का क्र. 05, तह- हुजूर भोपाल)
वृत- 07 तहसील हुजूर जिला भोपाल

664

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल
क्रमांक 1/505062/2026/राजस्व/भोविप्रा/2026
भोपाल, 20-03-2026
आम सूचना
सर्वसाधारण का सूचित किया जाता हैं, कि प्राधिकरण की शाहपुरा योजना में स्थित भूखण्ड क्रमांक-394 सेक्टर-सी, श्री चन्द्रकांत सोनी आत्मज श्री मोहन लाल सोनी के नाम पर आवंटित हैं। श्री चन्द्रकांत सोनी का स्वर्गवास दिनांक 22/04/2021 को हो जाने के कारण उनके वारिस श्रीमति उषा सोनी पत्नी स्व0 श्री चन्द्रकांत सोनी, श्री अनुराग सोनी पुत्र स्व0 श्री चन्द्रकांत सोनी एवं श्री अभिषेक सोनी पुत्र स्व0 श्री चन्द्रकांत सोनी द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवंटी का मृत्युप्रमाण-पत्र शपथ पत्र आधार कार्ड एवं वांछित प्रपत्रों को प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड / भवन का नामांतरण संयुक्त नाम पर चाहा गया हैं।

उक्त नामांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति / उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य / दस्तावेजो के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति / दावा प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि के पश्चात कोई भी दावा / आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

663

To Whomsoever It May Concern
This is to inform the general public that Mr./Ms. Neha sahu, Partner of M/s Vivaan Infra, having its principal place of business at bhopal, has retired from/ceased to be a partner of the firm with effect from 12.03.2025 Further, Mr. Nirbhay das Gurjar has been admitted as a new partner in the said firm with effect from 12.03.25 Accordingly, the partnership firm shall continue its business under the same name and style of M/s Vivaan Infra with the reconstituted partnership as per the Partnership Deed. Any person having any objection or claim in respect of the above change may intimate the undersigned within 15 days from the date of publication of this notice, failing which no objection shall be entertained.

For and on behalf of
M/s Vivaan Infra
Through Counsel

YASH AGRAWAL Advocate
High Court of Madhya Pradesh
Satkar 22, Mangal Nagar, Bhawarkuan
Near Rajiv Gandhi Square,
Indore (M.P.) - 452001 M. 7869063228

662

दस्तावेज खो जाने की सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्रीमती जुमरत बी पत्नी मो सलीम सिद्दीकी, के स्वामित्व व अधिपत्य का प्लाट नं. 21 का उत्तर पूर्वी भाग मय उस पर निर्मित मकान, ग्राम सेमरा कलां, सुभाष कालोनी बी-सेक्टर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल म.प्र. में भोपाल नगर निगम की सीमाओं के अंदर वार्ड नं. 67 में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 20X25=500 वर्गफिट अर्थात 46.46 वर्गमीटर है मेरे पक्षकार के नाम उप पंजीयक कार्यालय भोपाल में पंजीकृत है। जिसकी मेरी पक्षकारा मालकिन व स्वामिनी हैं, उक्त संपत्ति की पुरानी (original registry) चैन रजिस्ट्री जो श्रीमती अमिना बी पत्नी मोहम्मद अनवर निवासी-02, शहंशाह गार्डन, दशमेश नगर भोपाल, के नाम से इन्द्राज थी, दिनांक 03.06.2006 दस्तावेज क्र. 884 (ख) पर दर्ज है, (original registry) मेरे पक्षकार श्रीमती जुमरत बी से कहीं गुम हो गई है। जिसके संबंध में सूचना संबंधित पुलिस थाना अशोका गार्डन भोपाल, में दिनांक 08/06/2026 दी जा चुकी है। अतः उक्त मूल पंजीयन विलेख (original registry) जिस भी व्यक्ति को प्राप्त हो तो कृपया सूचना देवें, यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त दस्तावेज का दुरूपयोग किया जाता है अथवा किसी प्रकार का कोई भी विधि विरुद्ध कार्य किया जाता है तो दण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।

सतीश अहेलिया,एडवोकेट/नोटरी
कार्या.-123, नारंग टाईपिंग सेन्टर एंड सर्विस प्रोवाईडर, नियर अप्सरा टाकीज, रायसेन रोड भोपाल म.प्र.
मो. 9826162974, 9826472014

661

परिशिष्ट B-संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, भोपाल
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

आरसीएस ए/287/2026
अकरम खान बनाम सर्वसाधारण
NEXT DATE :06-07-2026

प्रेषिती, सर्वसाधारण पता-सर्वसाधारण **यह कि प्रार्थी** अकरम खान ने आपके विरूद्ध आरसीएस ए/287/2026 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 28-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

कपिल बौरासी, न्यायाधीश
सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)

660

जाहिर सूचना
सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार आवास हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड के दिशानिर्देशानुसार व उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर श्रीमती सुमन पाण्डेय पुत्री श्री आर सी. पाण्डेय, के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य का एक किता आवासीय भुखण्ड क्रमांक-13 (कार्नर) कुल क्षेत्रफल=990 वर्गफीट स्थित-जो कि खसरा क्रमांक-2 का भुखण्ड कुल एरिया रकबा 5.96 एकड़ अर्थात् 2.411 हेक्टेयर पर कालोनी जो कि सुखसागर फेस-4, का अंशभाग, है, ग्राम-रासलाखेड़ी, प.ह.न.-21, राजस्व निरीक्षक मंडल-2, विकासखण्ड फंदा, तह. हुजूर जिला भोपाल में स्थित है। इस संपत्ति को श्रीमती सुमन पाण्डेय द्वारा विक्रेता मेसर्स चावला कंस्ट्रक्शन्स, भोपाल द्वारा मालिक श्री कमल चावला आत्मज श्री डालचंद चावला से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 30/01/2012 को क्रय की थी जिसका पंजीयन सब रजि. कार्यालय भोपाल पर बुक न.-A1-38358 तथा दस्तावेज क्रं. 8/7337 पर पंजीबद्ध है। यह मुल विक्रय पत्र कहीं गुम हो गया है, जिस संबंध में सुमन पाण्डेय द्वारा सूचना संबंधी स्वीकृति थाना प्रभारी महोदय परवलिया से प्राप्त कर ली है। उक्त सम्पत्ति का किसी भी व्यक्ति-व्यक्तियों किसी भी शासकीय व अर्धशासकीय संस्था, बैंक,सोसायटी या अन्य किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो या उक्त संपत्ति कहीं दान-बंधक, गिरवी, हस्तांतरण विक्रय, अनुबंध इत्यादि हो, तो वह व्यक्ति,फर्म, बैंक अथवा संस्था इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय में मय-दस्तावेज प्रस्तुत कर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् आपत्ति अमान्य रहेगी।

ANAMIKA NATH, ADVOCATE
OFFICE cum Resi. H.No.29, Satakshi Garden, Khajuri Kalan Road, Piplani, Bhopal (M.P.)402022 Mob.9039026897

659

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-3, हर्राखेड़ा तहसील बैरसिया जिला भोपाल (म.प्र.)
प्रकरण क्रमांक / 0504/अ-6/2026-27
बैरसिया दिनांक 19/06/2026
उद्घोषणा
एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामगोपाल पुत्र मिश्रीलाल निवासी ग्राम जैतपुरा तहसील बैरसिया जिला भोपाल मध्यप्रदेश ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109-110 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया है कि जैतपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 148/2 कुल रकबा 0.3300 हेक्टेयर भूमि के खातेदार लछिया बाई के द्वारा आवेदक को वर्ष 2005 में रजिस्टर्ड वसीयत 02 गवाहों के समक्ष की गई थी। भूमिस्वामी/खातेदार की मृत्यु दिनांक 30/12/2025 को हो जाने के कारण आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण न्यायालय में गतिशील है आवेदक/आवेदिका द्वारा आवेदित भूमि का सभी वारिसों के हक के आधार पर फौतीनामान्तरण किये जाने की मांग की है। उक्त भूमि का फौतीनामान्तरण/वसीयतनामा किये जाने में किसी को आपत्ति हो तो वह आपत्ति न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर या अपने अधिवक्ता के माध्यम से 15 दिवस के भीतर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। वादम्याद आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह इश्तहार आज दिनांक 19/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
वृत्त-3,हर्राखेड़ा

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल
आम सूचना
हाऊसिंग बोर्ड, ई-7,एक्सटेंशन, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) में स्थित भवन क्रमांक एम.आई.जी./एम.एक्स.-39 डुप्लेक्स मण्डल द्वारा (1) श्रीमती जसोवंती देवी सतपथी पत्नी स्व. श्री जयदेव सतपथी (2) डॉ. दिब्य किशोर सतपथी आत्मज स्व. श्री जयदेव सतपथी के नाम से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 16/06/2006 को किया गया है। इनमें से श्रीमती जसोवंती देवी सतपथी का स्वर्गवास दिनांक 06/04/2010 को हो गया है। श्रीमती जसोवंती देवी सतपथी द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त सम्पत्ति का वसीयतनामा अपने पुत्र डॉ. दिब्य किशोर सतपथी के पक्ष में किया गया है। आवेदक आवंटी के पुत्र डॉ. दिब्य किशोर सतपथी आत्मज स्व. श्री जयदेव सतपथी द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयतनामा की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति में से स्व. श्रीमती जसोवती देवी सतपथी का नाम विलोपित कर अपने एकल नाम से नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति में से नाम विलोपित कर एकल नाम से नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

657